2026 का विधेयक सं.14

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तर वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 15 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 15 की उप-धारा (3) के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि, ऐसी छूट के लिये प्रदायकर्ता द्वारा जमा पत्र जारी किया जाता है और ऐसी छूट के कारण, ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जिसे, धारा 34 के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कमी पायी जाती है," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से पूर्व अभिव्यक्ति "या जहां

धारा 15 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट छूट दी जाती है" अंत:स्थापित की जायेगी।

4. **2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(क) उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोनों के प्रदाय" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के लेखे प्रतिदाय" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन अनुज्ञात अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय," अंत:स्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (14) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (6) के अधीन" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी प्रतिदाय का" से पूर्व अभिव्यक्ति "ऐसे मामलों से भिन्न जहां कर के संदाय के साथ भारत से बाहर निर्यात किये गये माल के मद्दे कर के प्रतिदाय का दावा किया जाता है, वहां" अंत:स्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, इसकी 56वीं बैठक में केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में विभिन्न संशोधन किये गये थे। इन्हें वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) के माध्यम से अधिनियमित किया गया था, जो माननीय राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 30 मार्च, 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ है।

चूंकि, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंध एक समान हैं। तदनुसार, जीएसटी विधि के विनिश्चय और लागू होने में एकरूपता को बनाए रखने के लिए, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तदनुरूप संशोधन किये जाने अपेक्षित हैं। प्रस्तावित, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) के माध्यम से संशोधित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अनुरूप संशोधनों के लिए उपबंध करता है।

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

विधेयक का खण्ड 2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे विक्रय के पश्चात् दी जाने वाली छूट को किसी ऐसे करार से जोड़ने की अपेक्षा को समाप्त किया जा सके जो विशेषत: सुसंगत बीजकों से जुड़ी हो और जहां इनपुट कर प्रत्यय प्राप्तिकर्ता द्वारा

उलट दिया जाता है वहां धारा 34 के अधीन जमा पत्र जारी करना निर्दिष्ट किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 3 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 को, संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि धारा 15 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन निर्देशित छूट के निर्देश को उक्त धारा में प्रदाय के पश्चात् दी जाने वाली छूटों के लिए जमा पत्र जारी करने के लिए सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 4 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (6) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे उलटी शुल्क संरचना से उद्भूत प्रतिदायों के लिए अनंतिम प्रतिदाय के उपबंधों का विस्तार किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह खण्ड राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (14) का संशोधन करने के लिए ईप्सित है जिससे कि कर के संदाय के साथ भारत से बाहर निर्यात किये गये माल की दशा में प्रतिदाय दावे के लिए सीमा रेखा को हटाये जाने के लिए उपबंध किया जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(25)विधि/2/2026 जयपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2026
प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

15. कराधेय प्रदाय का मूल्य.- (1) से (2) XX XX XX XX XX (3) प्रदाय के मूल्य में ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो-

(क) XX XX XX XX XX XX XX

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,-

(i) ऐसी छूट, ऐसे प्रदाय के समय या उसके पूर्व किये गये किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है; और

(ii) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

(4) से (5) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

34. जमा पत्र और नामे नोट.- (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए एक या अधिक कर बीजक जारी किये गये हैं और उन कर बीजकों में प्रभावित कराधेय मूल्य या कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदाय किये गये माल को वापिस किया जाता है या जहां प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों में कमी पायी जाती है,वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है प्राप्तिकर्ता को वित्तीय वर्ष में किये गये प्रदाय के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी कर सकेगा, जिनमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जो विहित की जाएं।

(2) से (4) XX XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

54. **कर का प्रतिदाय.-** (1) से (5) XX XX XX XX XX

(6) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किये गये शून्य अंकित माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लेखे प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गयी कुल रकम, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय दावे के अंतिम निपटान के लिए उप-धारा (5) के अधीन आदेश कर सकेगा।

(7) से (13) XX XX XX XX XX

(14) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जायेगा यदि रकम एक हजार रुपये से कम है।

(15) XX XX XX XX XX

स्पष्टीकरण.- XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX XX

Bill No. 14 of 2026

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2026.

(2) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 15, Rajasthan Act No.9 of 2017.-For the existing clause (b) of sub-section (3) of section 15 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

> "(b) after the supply has been effected, if for such discount, a credit notehas been issued by the supplier and input tax credit as is attributable to suchdiscount has been reversed by the recipient of the supply, in accordance withthe provisions of section 34.".

3. Amendment of section 34, Rajasthan Act No.9 of 2017.- In sub-section (1) of section 34 of the principal Act, after the existing expression "both supplied are found to be deficient"and before the existing expression ", the registered person, who has supplied such goods or services or both," , the

expression "or where a discount referred to in clause (b) of sub-section (3) of section 15 is given" shall be inserted.

4. Amendment of section 54, Rajasthan Act No.9 of 2017.- In section 54 of the principal Act,-

(a) in sub-section (6), after the existing expression "supply of goods or services or both" and before the existing expression "made by registered persons,", the expression "or of unutilised input tax credit allowed under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3)" shall be inserted; and

(b) in sub-section (14), after the existing expression "sub-section (5) or sub-section (6)"and before the existing expression "shall be paid to an applicant,", the expression ", other than cases where refund of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax," shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government.

On the recommendation of the GST Council in its 56th Meeting, various amendments to the Central Goods and Services Tax Act, 2017, were carried out. These were enacted through the Finance Act, 2026 (Central Act No. 4 of 2026) which has been published in the Official Gazette on 30th March, 2026, after the assent of Hon'ble President.

Since, the provisions of the Central Goods and Services Tax Act and the Rajasthan Goods and Services Tax Act are similar. Accordingly, to maintain uniformity of decision and applicability of the GST Law corresponding amendments are required to be made in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026, *inter alia*, provides for the amendments as per Central Goods and Services Tax Act, amended through the Finance Act, 2026 (Central Act No. 4 of 2026).

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026, *inter alia*, provides for the following, namely:-

Clause 2 of the Bill seeks to amend clause (b) sub-section (3) of section 15 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to do away with requirement of linking the post-sale discount with an agreement specifically linked to relevant invoices and to refer to issuance of credit note under section 34 where the input tax credit is reversed by the recipient.

Clause 3 of the Bill seeks to amend section 34 of the RajasthanGoods and Services Tax Act so as to include the reference of discount referred under clause (b) of sub-section (3) of section 15 in the said section for issuing credit notes for post-supply discounts.

Clause 4 of the Bill seeks to amend sub-section (6) of section 54 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to extend the provisions of provisional refund to refunds arising out of inverted duty structure.

The clause further seeks to amend sub-section (14) of section 54 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to provide for removing the threshold limit for refund claim in case of goods exported out of India with payment of tax.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(25)विधि/2/2026 जयपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2026
प्रेषक: भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

(Act No. 9 of 2017)

XX XX XX XX XX

15. Value of taxable supply.- (1) to (2) xx xx

(3) The value of the supply shall not include any discount which is given-

(a) xx xx xx xx xx

(b) after the supply has been effected, if-

(i) such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices; and

(ii) input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply.

(4) to (5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

34. Credit and debit notes.- (1) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person, who has supplied such goods or services or both, may issue to the recipient a credit note containing such particulars as may be prescribed.

(2) to (4) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

54. Refund of tax.- (1) to (5) xx xx xx xx

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by registered persons, other than such category of registered persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety per cent. of the total amount so claimed, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed and

thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant.

(7) to (13) xx xx xx xx xx

(14) Notwithstanding anything contained in this section, no refund under sub-section (5) or sub-section (6) shall be paid to an applicant, if the amount is less than one thousand rupees.

(15) xx xx xx xx

Explanation.- xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 14 of 2026

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Bhajan Lal Sharma, **Minister-Incharge**)

<u>2026 का विधेयक सं. 14</u>

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा, **प्रभारी मंत्री)**